उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974[1]

{उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1975}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनाँक 7 अगस्त, 1974 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनाँक 14 अगस्त, 1974 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनाँक 17 फरवरी, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 3 मार्च, 1975 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

शैक्षिक संस्थाओं की आस्तियों के अपव्यय को निवारित करने के अध्युपायों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य का पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2—— जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) 'निदेशक' का तात्पर्य, यथास्थिति, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से है और इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उपशिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक या संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका भी है;

(ख) 'संस्था' या 'शैक्षिक संस्था' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उपाधि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था नहीं है, जिसका पोषण केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो;

(ग) किसी संस्था के संबंध में, 'प्रबन्धतंत्र' का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय या व्यक्ति से है, जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार दिया गया हो;

(घ) किसी संस्था के संबंध में, 'संपत्ति' के अन्तर्गत संस्था की अथवा पूर्णतः या अनन्य रूप से संस्था के लाभार्थ विन्यासित सभी स्थावर संपत्तियां भी है, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि, भवन और ऐसी संपत्ति से, जो प्रबन्धतंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उद्भूत होने वाले सभी अन्य प्रकार और हित भी है।

सम्पत्ति की तालिका प्रस्तुत करना

3—— प्रत्येक संस्था का प्रबन्धतंत्र निदेशक को प्रथमतः इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर और तदुपरान्त प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक संस्था को अथवा उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित समस्त संपत्तियों की तालिका, जिसके साथ ऐसी विशिष्टियां होंगी, जिन्हें निदेशक आवश्यक समझे, उसके द्वारा विहित प्रथम प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए उत्तर प्रदेश असाधारण गजट दिनाँक 23 जुलाई, 1974 देखें।

अपव्यय का निवारण

4–– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्धतंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा, जो शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप न हो अथवा इतना अधिक हो कि उसकी आय से अननुपातिक हो अथवा किसी अन्य कारण से ऐसा हो, जिसे कोई भी प्रज्ञावान प्रबन्धतंत्र संस्था के हित में व्यय करना उचित न समझे और जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत न हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रबन्धतंत्र को कोई विनिर्दिष्ट व्यय या किसी विनिर्दिष्ट मद पर व्यय अथवा किसी विनिर्दिष्ट मद पर विनिर्दिष्ट सीमा के बाहर अथवा सिवाय विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निर्बन्धनों के अनुसार, व्यय करने से, प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) (क) जहां प्रबन्धतंत्र की यह राय हो कि कतिपय व्यय आवश्यक या समीचीन है किन्तु व्यय का प्रकार या उसकी धनराशि उसकी आय से आननुपातिक है तो प्रबन्धतंत्र निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना वह व्यय नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–– किसी मद के संबंध में किसी ऐसे व्यय के लिए, जो इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश हाई स्कल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अथवा इन अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि या किसी परिनियम या अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के या निदेशक के किसी आदेश के अधीन अथवा न्यायालय की किसी डिक्री के अधीन, प्राधिकृत हो, यदि वह नियमों, आदर्शों या सिद्धान्तों के अनुसार अथवा उपयुक्त अधिनियमिति, नियम, विनियम, उपविधि, परिनियम, अध्यादेश, आदेश या डिक्री द्वारा या उसके अधीन विहित परिसीमाओं के भीतर हो तो इस उपधारा के अधीन निदेशक की स्वीकृति अपेक्षित न होगी।

(ख) प्रबन्धतंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा, जो उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध हो।

(4) (क) निदेशक, उपधारा (2) के अधीन आदेश के विरुद्ध उसे अभ्यावेदन दिये जाने पर अथवा उपधारा (3) के अधीन स्वीकृति के लिए उसे आवेदन दिए जाने पर और ऐसे विषयों तथा सूचना पर, जिसे वह आवश्यक समझे, विचार करने पर शीघ्र अपना आदेश देगा;

(ख) यदि निदेशक, अभ्यावेदन या आवेदन और उसके द्वारा इस निमित्त अपेक्षित अन्य दस्तावेजों या सूचना की प्राप्ति के दिनांक से आठ सप्ताह के भीतर अपना आदेश नहीं देता तो यह समझा जायेगा कि उसने प्रबन्धतंत्र द्वारा किये जाने वाले प्रस्थापित व्यय के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) निदेशक, अभ्यावेदन या आवेदन को पूर्णतः या अंशतः मंजूर या नामंजूर कर सकेगा।

(5) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (4) के अधीन निदेशक के आदेश से क्षुब्ध हो तो वह आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति के अन्तरण के लिए पूर्वानुमोदन का आवश्यक होना

5–– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति का, जो शैक्षिक संस्था की हो या उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित हो, अन्तरण तब तक विधिमान्य न होगा, जब तक कि निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त न कर ली जाय कि उक्त अन्तरण संस्था के हित में आवश्यक या लाभप्रद या समीचीन है।

(2) प्रबन्धतंत्र यदि वह निदेशक के उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति नामंजूर करने के आदेश से व्यथित हो तो उस आदेश के विरुद्ध अपील, उसके संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश को, जिसकी अधिकारिता के भीतर उक्त संस्था या सम्बद्ध संपत्ति हो, कर सकेगा और अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

निदेशक की शक्तियाँ

6–– धारा 4 की उपधारा (4) या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जाँच के प्रयोजनार्थ निदेशक की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) स्वयं या ऐसी सहायता से, जिसे वह उचित समझे, किसी शैक्षिक संस्था के भू–गृहादि में प्रवेश करना;

(ख) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, शैक्षिक संस्था की समस्त सम्पत्ति का तथा उससे संबंधित सभी अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण करना;

(ग) ऐसे समय और स्थान पर ऐसे प्रपत्र में, जैसा वह निदेश दे, संस्था की निधियों, संपत्ति या आय से संबंधित कोई भी रिपोर्ट, विवरण, लेखा या अन्य सूचना माँगना;

(घ) संस्था की संपत्ति के संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो, उपाय करने के लिए निदेश देना; और

(ङ) प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो, संस्था की खोयी हुई किसी संपत्ति की वापिसी के उपाय करने के लिए निदेश देना।

शास्ति

7–– यदि किसी शैक्षिक संस्था के प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी ऐसी संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो ––

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का या तद्धीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करने से इन्कार करेगा, उसकी अपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन की गयी किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखाओं या अन्य सूचना प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा, उसकी अपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा,

तो ऐसा सदस्य या अन्य व्यक्ति कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण

8–– (1) इस अधिनियम के तद्धीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये गये तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक किन्हीं सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों में दायी नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम के तद्धीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण किसी ऐसे नुकसान के लिए, जो हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो अथवा किसी ऐसी क्षति के लिए, जो हुई हो अथवा जिसके होने की संभावना हो, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।